International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(II), January - March, 2023, pp. 133-138

महात्मा गांधी नरेगा को मजबूत बनाने के प्रयास

डॉ. सम्पत राम रैगर*

प्रस्तावना

महानरेगा में राज्य सरकारे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसको व्यवस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहे, उसका कम से कम 100 दिन का गारण्टी शुदा रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतन दर नियत किये जाने तक कृषि मजदूरो के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू की गई। ग्राम सभा द्वारा सभी कार्यो व आवेदन की निगरानी रखी जाती हैं। किसी भी स्तर पर मध्यस्थों की भूमिका नही होती है इस योजना में पारदर्शिता, जबावदेही, सामाजिक अंकेक्षण व जनभीगीदारी सुनिश्चित की गई है।

यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नही कराया गया तो वह राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए उसके द्वारा निर्दिष्ट बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। महानरेगा में केद्रीय रोजगार गारण्टी परिषद का गठन किया जाता हैं। जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यों और कर्तव्यों को निभाती हैं। साथ ही राज्य सरकार भी इसी प्रयोजनार्थ राज्य परिषद का गठन किया है। पंचायत, जिले के ही पंचायत जिले के भीतर हो योजना के कार्यान्वयन की देख रेख तथा मॉनीटर करने और निरीक्षण करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर महानरेगा में किया गया कार्य सही ढंग से हो उसके लिए राज्य सरकारें ब्लॉक–स्तर पर एक प्रोग्राम अधिकारी को नियुक्ति करती है। महानरेगा में ग्राम सभा की सिफारिशों पर परियोजनाओं की पहचान करने तथा उन्हें निष्पादित करने ओर ऐसे निर्माण कार्यों की देख–रेख के लिए ग्राम या पंचायत सबसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करती है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि को स्थापना करती है तथा साथ में राज्य सरकारे भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारण्टी निधियों स्थापित करती है।

ग्रामीण प्रवेश में पुरुष अधिकतर रोजगार के लिए अपने गाँव को छोड़कर अन्यत्र मजदूरी करने के लिये जाते है और महिलायें घर पर ही रहती हैं। इसलिए महानरेगा में एक तिहाई महिलाओं रोजगार की प्राथमिकता रखी गयी है।

महानरेगा में यह भी प्रावधान रखा गया कि इसमें रोजगार के लिये पंजीकरण पूरे वर्ष किया जाता है और अकुशल श्रम का इच्छुक वयस्क इसे पंजीकरण करवाकर जॉब कार्ड प्राप्त करता है। जिसको जॉबकार्ड मिला है वह रोजगार प्राप्ति का कानूनी हकदार होता है

इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया है कि श्रमिक को पांच किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है अगर पाँच किलोमीटर से दूर श्रम करवाया जाता है तो उसे अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जाता है। महानरेगा में कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।[1] महानरेगा के कार्यान्वयन के बाद समय समय पर इसमें सुधार किये जाते रहे हैं। इसमें महात्मा गाँधी नरेगा और कृषि तथा संबद्ध ग्रामीण आजीविका के बीच सकारात्मक मेल को मजबूती दी जाती है। कुछ सुधारों और पहलों का प्रयास हुआ है। भारत सरकार की मिहिर शाह कमेटी [2] की महानरेगा में कौन–कौन कार्य करवा सकते का उन की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार जिससे महानरेगा में सुधारात्मक कदम और उठाऐ जा सकते है जिसके अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा और कृषि तथा संबद्ध ग्रामीण आजीविका के बीच

* सह आचार्य – राजनीति विज्ञान, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

सकारात्मक मेल को मजबूती से कार्य करवा सकते है। जिससे के अंतर्गत राज्यों द्वारा स्थान आधारित मांगो में अनुमत कार्यों में रबी की फसल के लिए लचीलापन लाया जा सके और जिससे ग्रामीण भारत में पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

महात्मा गांधी नरेगा मे अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कामों में कुछ शर्तें है उनका पूरा करना भी आवश्यक है जैसे केवल वे काम जिनके परिणामस्वरूप टिकाऊ संपत्तियों का सृजन होना आवश्यक है। महानरेगा में कोई भी कार्य किया जाता है। उसकी प्राथमिकता का काम ग्राम पंचायत[3] द्वारा निर्धारित किया जाना है। इन कार्य में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि श्रमिक की मजदूरी तथा सामग्री की लागत का अनुपात 60:40 का होता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर बनाया जाता है। इसके अलावा बिना किसी ठेकेदार के और श्रम को कम करने वाली मशीन का प्रयोग किया जा सकता है।

महानरेगा की मांग आधारित विशेषताओं को भी सुनिश्चित किया जाता है जिसके अन्तर्गत निम्न विशेषताएँ होती हैं – ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी जैसे भी मामला हो, वह वैध आवेदनों को स्वीकार करने और आवेदक को तारीखशुदा रसीद जारी करने के लिए बाध्य होता है अगर आवेदन स्वीकार न करने और तारीख वाली रसीद देने से मना करना महात्मा गांधी नरेगा की धारा 25 के तहत उल्लंघन माना जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा मुहानरेगा में काम के लिए आवेदन जमा करने के प्रावधान को ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित बहुविध चैनलों के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों, आंगन बाड़ी कर्मियों [4] स्कूल टीचर स्वयं सहायता समूहो, गांव आधारित राजस्व कार्यकर्ताओं, सामान्य सेवा केन्द्र और महात्मा गांधी नरेगा श्रम समूहों को काम के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु अधिकार दिये जाते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट के अलावा मोबाइल फोन द्वारा श्रमिको को काम के लिए आवेदन करने का प्रावधान भी किये गये है और इसे सीधे प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एम.आई.एस) में भी डाला जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा यह सॉफ्टवेयर स्वतः ही बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए भुगतान आदेश जारी करता है जिन्हें काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम नही दिया जा सका है। इस आधार पर तैयार रिपोर्टो को राज्य स्तर पर संग्रहित आवश्यक रिपोर्टो में सम्मिलित किया जाता है।

जिसमें राज्य की सरकारो को यह सुनिश्चित करना होता है कि महात्मा गांधी नेरगा एमआईएस काम की मांग का रिकार्ड रखता है अर्थात निरिक्षण व्यवस्था को उन परिवारों [5] पर भी ध्यान दिया जाता है जिन्हें जानबूझकर रोजगार नही दिया जाता है। मांग का अग्रिम अनुमान करने के लिए जिला प्रशासन रोजगार कार्ड धारकों का एक डोर–टू–डोर सर्वेक्षण भी करती है।

महानरेगा में प्रभावी नियोजन – काम की मांग को पर्याप्त रुप से पूरा करने के लिए मांग किए जाने वाले काम की मात्रा और जिस समय यह मांग की जाती है तब उसका पूर्व अनुमान लगाना जरुरी होता है। इसके साथ ही इस मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कामों को, जो एक साल के लिए पर्याप्त होते है, पहले ही तैयार कर लिया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम की मांग और आपूर्ति का मेल योजना की प्रक्रिया है। और इसे भारत सरकार को सौंपे जाने वाले श्रम बाजर में शामिल किया जाता है जो कि वित्त वर्ष की शुरुआत में अनुदान आवंटित करता है।

इसलिए एक श्रम बजट दर्शाया जाता है और उसमें अनुमानित काम के लिए मांग की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। काम की मांग का निश्चित समय, साथ ही, जो काम चाहते हैं उनके लिए एक योजना जो काम की मात्रा और स्थिति की रूपरेखा उपलब्ध कराती है साथ ही यह एक मात्र तरीका है जिससे काम उपलब्ध कराने वाले काम को इस रूप में शुरू कर सकते हैं जिससे कि उस क्षेत्र में पलायन के पैटर्न के साथ इसका तालमेल हो ताकि परेशान और दुखी होकर किए जाने वाले पलायन को कम किया जा सके। यह काम उपलब्ध कराने वालों के लिए भी आवश्यक हो कि वे काम चाहने वाले को पहले से ही उस क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान कियी जाती है, ताकि के दुखी होकर पलायन न करें।

नियत समय सीमा के अंतर्गत महानरेगा में वर्तमान समय में वार्षिक योजना (एक ग्राम पंचायत में मांग के अनुरूप किए जाने वाले कार्यो की रूपरेखा) ग्राम सभा [6] की स्वीकृति के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर के आस–पास प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु यह दुखी होकर किए जाने वाले पलायन के लिए बहुत देरी हो जाती है। समय से मिलने वाली काम की गारण्टी की अनुपस्थिति में परिवार खरीफ [7] की फसल के बाद पलायन कर सकते है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत संभावित श्रमिको को उपलब्ध रोजगार और इस रोजगार की समय की जानकारी खरीफ की फसल से पहले दे दी जाती है।

दिशा–निर्देश एक समय सीमा का निर्धारण करता है–15 अगस्त तक–ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना को स्वीकृति दे दी जाती है। 2 अक्टूबर तक ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक वार्षिक योजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक को सौंपी जाती है।

1 दिसम्बर जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना की स्वीकृति दे दी जाती है। 15 दिसम्बर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना की तैयारी का डी.पी.सी. द्वारा आश्वसन दिया जाता है।

1 मार्च को अगले वित्त वर्ष के लिए काम शुरू कर दिया जाता है। जिससे कि राज्यों द्वारा श्रम बजट को समय पर सौंपा जा सके। ताकि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, राज्यों और जिलो को मार्च और अप्रैल में काम के शुरू करने की जानकारी दी जा सके।

महानरेगा में मानव संसाधनो का फैलाव–ग्राम पंचायत स्तर पर निरीक्षण (माप–तौल) और सर्वेक्षण के कामों के प्रभावी नियोजन हेतु अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्ति की जरूरत की ओर संकेत करती है। जिसमें हर ब्लॉक में महात्मा गांधी नरेगा के लिए एक पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) को नियुक्त किया जाता है। ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) [8] या अन्य ब्लॉक अधिकारियों को एक पी. ओ. की नियुक्ति के विकल्प के रूप में कार्यक्रम का अतिक्ति भार न सौपा जाए।

ब्लॉक जहाँ या तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत का कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत से अधिक है या वार्षिक महात्मा गांधी नरेगा का व्यय 12 करोड़ रूपये से अधिक हो वहां कम से कम तीन कलस्टर फेसिलिटेशन टीम (सीएफटी)[9] की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनमें से प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक कलस्टर [10] सीजीपी के लिए काम करते हैं। प्रत्येक सी जी पी लगभग 15 हजार जे. सी. या 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। सी एफ टी में एक पूरी तरह समर्पित तीन सदस्यीय पेशेंवर टीम होती है जिसका नेतृत्व एक सहायक कार्यक्रम अधिकारी ए. पी. ओ. करता है। और इसमें भू–अभियांत्रिकी, समुदाय गतिशीलता, जल भू विज्ञान और कृषि। संभर आजीविका विशेषज्ञ शामिल होते है। यह बेहतर भूमि और जल उत्पादकता जो कि जलसंभरण पर आधारित है ।

महानरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी में कमी को सुधारने के लिए हर प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित की गयी है तथा एम आई एस द्वारा मॉनिटर किए गए कार्यों जैसे मस्टर रोल की भर्ती भुगतान करने वाली एजेंसी को भुगतान का आदेश देना सब एंजेसी में नकद भेजना व श्रमीको को नकद भुगतान में देरी का निरीक्षण हर स्तर किया जाता है।

महानरेगा में प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत करना होता है। एम आई एस की प्रमुख आलोचना इस बात की रही है कि यह लेन देन की गणना को वास्तविक समय आधार पर नहीं देखती है और सभी आंकड़े मूल रूप से बाद में डाले गए होते है। उदाहरण के लिए एम आई एस में भुगतान में प्रविष्टि श्रमिको को मजदूरी दे दिए जाने के बाद की जाती है। भारत सरकार की पहल से महानरेगा में मजदूरी के समय पर भुगतान पर पारदर्शिता के लिए आईसीटी को मजबूत किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (e-FMS) यह भारत सरकार चाहती है कि सभी राज्य सरकारे धीरे–धीरे इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (e-FMS) को अपना ले। इसके अंतर्गत मजदूरी/सामान/प्रशासनिक भुगतान हेतु संपूर्ण राशि का प्रबंध व प्रसारण ऑन लाइन किया जाता है। सभी इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर 24 घण्टे की अवधि में हो जाते है। (e-FMS) सभी स्तरो पर राशि की उपलब्धता को व महात्मा गांधी नरेगा धन के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित भी करता है। यह पूरे कार्यक्रम की क्षमता की सुधारता है और समय पर मजदूरी भुगता उपलब्ध कराता है। इलेक्ट्रानिक

मस्टर रोल (MR) – मस्टर रोल में धोखाधड़ी झूठी प्रविष्टियां तथा अन्य गडबडियो को रोकने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल बनाया है। इसके अंतर्गत ब्लॉक या ग्राम पंचायत मांग के आवेदन प्रदान करती है साथ में काम भी देती है और हर कार्यस्थल के लिए मस्टर रोल का प्रिंट आउट प्रदान करती है।

- **आधार – Aadhar –** आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो व्यक्ति के जनसांख्यिकी और बायोमीट्रिक सूचना से जुड़ीं है, जिसका इस्तेमाल भारत में कही भी अपनी पहचान दिखाई और सेवाओं व सुविधाओं का लाभ उठाने में कर सकते हैं।
- **बिजनेस कॉरेस पोंडेंट मॉडल –** अपने राज्यों के अनुभावों से सीखते हुए भारत सरकार बिजनेस कॉरेस पोंडेट मॉडल को बढ़ा रही है और इसके कार्यान्वयन में सहयोग कर रही है। भारत सरकार ने बैंको को प्रति वर्ष खाता 80 रु. का लाभांश दिया जाता है।
- **डाटा फाइलों का इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर–** देरी का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है श्रमिकों के बैंक खातो में पैसा जमा करना, क्योंकि इसमें चेंक और मजदूरी की सूची ग्राम पंचायत से बैंक को जाती है, जिसके बाद बैंको को एक बार फिर मजदूरी पाने वाले बैक खाते की जानकारी भरनी पडती है। उस लेन देन को सरल बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय चार राज्यो (ओडिशा गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक) में पांच बैंको के साथ मिलकर सफलता पूर्वक बैंको को डाटा इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर कर रहा है। इस समाधान को अब अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। इसी प्रकार का एक अन्य समाधान है, प्रधान डाकघर (एचपीओ) को डाटा ट्रांसफर करना, जिससे कि दस्तावेजो की आवाजाही में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इसका इस्तेमाल राजस्थान में दिया जा रहा है।[11]

महात्मा गांधी नरेगा में संवेदनशील समूहों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है। दिशा निर्देशों में संवेदनशील समूहों जैसे विकलांग व्यक्तियों प्राचीन जन जातीय समूहों, खानाबदोश जनजातीय समूहों, अज्ञात जन जातियों, विशेष परिस्थितियों में महिलाऐं, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और आंतरिक विस्थापित लोगो के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महानरेगा द्वारा सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना में एक बढ़ते कदम का हिस्सा है। इस समान अवसरों की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम अधिकारियों को रिसोर्स एजेंसियों, सिविल सोसायटी संगठनो, जो विकलांग व्यक्तियों और संवेदनशील लोगों की पहचान करने, तथा उन्हें गतिशील बनाने तथा अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार समझा गया। महात्मा गांधी नरेगा में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए बेहतर सामाजिक अंकेक्षण एवं सतर्कता बनाई रखी जाती है। भारत सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण के नियमों[12] को अधिसूचित किया है जो ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के सरलीकरण हेतु सोशयल ऑडिट यूनिट (एस ए यू) की स्थापना का आदेश देते हैं। एस. ए. यू ग्राम सभा की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है जो ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर (प्राथमिक अंशधारको और अन्य सिविल सोसायटी संगठनो से) उपयुक्त रिसोर्स व्यक्तियों की पहचान प्रशिक्षण और नियुक्ति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करती है। एस. ए. यू. श्रमिको के बीच उनके अधिकार और हकों के बारे में जागरुकता पैदा करता है जो कि उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है और रिकॉर्ड की जाँच के सरलीकरण और प्राथमिक अंशधारको और कार्यस्थलो के विषय में जानकारी होती है।

प्रदर्शन अंकेक्षण में सामाजिक अंकेक्षण को पूरा करते हुए यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी ए जी) द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के सभी खर्चो का अंकेक्षण केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर पाया जाता है। वित्तीय अंकेक्षण के अलावा, सी ए जी इन योजनाओं के संबंध में एक प्रदर्शन अंकेक्षण करता है। शुरुआत में महात्मा गांधी नरेगा 12 राज्यों असम, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तरप्रदेश में प्रदर्शन अंकेक्षण किया गया है।

भारत सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाली अनियमितताओं कदाचारों की सक्रिय पहचान के लिए एक तीन स्तरीय सतर्कता तंत्र की स्थापना की गई और पहचान की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों, जिनकी पहचान सामाजिक अंकेक्षण के दौरान हुई है उसमें सुधार करती है।

राज्य स्तर पर एक सतर्कता प्रकोष्ठ होता है जिसमें एक मुख्य सतर्कता अधिकारी जो कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या सेवा निवृत अधिकारी होता है और इसके सहायक के रूप में कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी एक इंजीनियर और एक ऑडिटर भी होता है। महात्मा गांधी नरेगा मजबूत बनाने में अधिनिय की धारा 25 को थी मजबूती दी है। कुछ बातों को इस अधिनियम की धारा–25 के तहत् दण्डनीय अपराध माना गया है। जिसमें बिना समुचित कारण के किसी कार्ड धारक के पास पंचायत अथवा महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यक्रम का पाया जाना माना गया है। इसके अलावा रोजगार कार्ड की प्रविष्टि में देरी या प्रविष्टि का न होना माना गया है। इसके साथ अन्य बातों में जैसे रोजगार कार्ड की प्रविष्टि में देरी या प्रविष्टि का न ही होना, तथा आवेदन स्वीकार करने से मना करना या तारीख वाली रसीद न देना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा मजदूरी भुगतान में बिना कारण देरी करना और निर्धारित समय में शिकायतों को निपटाने में असफल रहना भी अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध माना गया है।

महात्मा गांधी नरेगा एक राज्य में 'कुल'व्यय का 6 प्रतिशत उपलब्ध कराता है। इसका दुरूपयोग न हो इसके लिए दिशा–निर्देश देता है। जिसके अंतर्गत दिए गए 6 प्रतिशत का लगभग दो तिहाई ब्लॉक स्तर और नीचे (ग्राम पंचायत) पर खर्च किया जाता है। कुछ वस्तुओं की लागत को किसी भी स्थिति में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नही रखा गया है। जिसमें, नए वाहने, नई इमारत, एयर–कंडीशनर आदि को रखा गया है। उन अधिकारियों के वेतन/पारिश्रमिक या भत्ते नही दिये जायेंगे जो कि महात्मा गाँधी नरेगा कार्यों के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हैं।

इसके अलावा 17 अप्रैल 2017 को जन मनरेगा के तहत् सिटीजन सेन्ट्रीक मोबइल अपलीकेशन को लागू किया गया। इसके तहत् नागरिक जागरुकता की चाबी इसको माना गया तथा इस में यह बताया गया है कि अब इस अपलीकेशन से पूरी क्षमता, व प्रभावी तथा पारदर्शिता के लिए उपयोग के लिए आयी है। [13] उपर्युक्त सभी मजबूत कदमों के साथ–साथ एक ओर कार्य महानरेगा में किया गया जिसके अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा में वार्षिक अवार्ड–2018 में लागू किया गया, जिसमें महानरेगा में जो अच्छा कार्य करेगा उसको पुरस्कार दिया जावेगा। यह पुरस्कार विभिन्न स्तर पर दिया जायेगा जिससे कि महानरेगा में लोगों कार्य करने की रुचि जागृत होगी।[14] महानरेगा में अगर किसी जगह विशेष में काम कि आवश्यकता बढ़ती है तो वहॉ कार्य करने की अवधि बढाई जाती है तो वहाँ के मन महानरेगा श्रमिकों की रुचि बढ़ी है। इसका उदाहरण राजस्थान में सत्र 2017–18 में 50 दिनों की अतिरिक्त अवधि को बढ़ाया गया।[15] अन्त में यह कह सकते है कि महानरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है तथा ग्रामीण क्षेत्र यह एक वरदान साबित हुई है और इस योजना सुधारों की आवश्यकता है सुधार हुये और आगे भी सुधार होत रहेंगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वर्धमान महावीर खुलाविश्वविद्यालय कोटा महात्मा गांधी नरेगा, दिसम्बर 2010 पृष्ठ – 67–68
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन रिविजन ऑफ एम जी एन आर ईजीए ऑपरेशन गाइड लांईस ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2012
3. ग्राम पंचायत ग्रामीण भारत की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की त्रि–स्तरीय रचना की प्राथमिक इकाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक या एक से अधिक ग्राम आते है।
4. भारत सरकार द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण समेकित बाल विकास परियोजना, जो कि महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सुधार योजना है, के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ता नियुक्त किए जा रहे हैं।
5. एक परिवार को, एक परिवार के सदस्यों के रुप में पारिभाषित किया जा सकता है जो एक दूसरे से खून के संबंध से, विवाह से या गोद लेने के द्वारा जुडे हो वआमतौर पर एक साथ रहते और खाते है।
6. एक ग्राम सभा वह निकाय है जिसमें एक ग्राम पंचायत की निर्वाचक सूची में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है। ग्राम सभा की सभी बैठके ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाती है जिससे कि सभी

लोगों तक जानकारी पहुँचाई जा सके और भागीदारी अथवा सभी परिवारों की सहमति से गांव के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

7. खरीफ मौसम कृषि का एक मौसम होता है। भारत में आमतौर पर खरीफ का मौसम मई और जनवरी के बीच आता है। (यह मौसम अलग अलग राज्यों में अलग होता है।। खरीफ फसलो में धान और दाले इत्यादि शामिल होता है।

8. ब्लॉक विकास अधिकारी एक ब्लॉक (खंड) का इन्चार्ज होता हैं और सभी विकास संबंधित मामलो का निरीक्षण करता है।

9. सी एफ टी पेशेवरों की वह टीम है जिनकी नियुक्ति महात्मा गाँधी नरेगा को सहयोग प्रदान करने के लिए की जाती हैं। प्रत्येक सी एक टी की नियुक्ति ग्राम पंचायत के एक समूह या क्लस्टर के लिए की जाती है।

10. प्रत्येक सी जी पी में लगभग 15,000 रोजगार कार्ड या 15,000 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल होता है जो कि मिल्ली–जल संभरण और स्थानीय एक्विेयर की चार दीवारी के अनुरूप होता है।

11. ग्रामीण विकास, मंत्रालय भारत सरकार

12. इस योजना के अंतर्गत, सामाजिक अंकेक्षण का तात्पर्य सभी प्रक्रियों और कार्य विधियों, जिसमें मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल इत्त्यादि शामिल है, उनका अंकेक्षण करना है। इसमें आमतौर पर सभी किए गए कार्यों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों का परीक्षण शामिल होता है।

13. File No- J-11017 /12/2017 - REV VII ministry of Rural Development.

14. NO J 15017/5/2017.महानरेगा–11 (358778)

15. No- J- 11018 / 11 2017– महानरेगा–IV

❖◆❖